अक्सर पुछे जानेवाले सवाल

प्र. असुरक्षित गर्भपात के संबंध में बातचीत होना जरुरी क्यों है?

उ. भारत में हर दो घंटे एक महिला गर्भपात से संबंधित वजहों से शिकार होती है। यह महिलाएँ कुटुंब और समाज के लिए महत्त्वपूर्ण तो होती ही हैं, उसके साथ वह इस देश की मौलिक नागरिक भी हैं। कुछ वजहों से भारत में गर्भपात को अनुमति दी गयी है। यह वजहें संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूएचओ जैसे संस्थाओं ने महिला के पुनर्जनन और स्वास्थ्यसंबंधी सूचनाओं के अनुसार हैं।

आज भारत में हजारो महिलाएँ असुरक्षित गर्भपात की शिकार हो रहीं हैं। उसकी प्रमुख वजहों में गर्भपात सेवादाताओं में प्रशिक्षण की कमी, गर्भपात के कानूनन होने के बारे में अज्ञान, सुरक्षित सेवाओं की अनुपलब्धता और गर्भपात को दिया हुआ सामाजिक कलंक का दर्जा हैं। गर्भपात के बारे में चर्चा करने से और कार्रवाई से यह कलंक ज्यादा बढता है और उससे सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में आनेवाली कठिनाई का सामना करना मुश्किल हो जाता है। असुरक्षित गर्भपात का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। वह महिला को कानूनी तौरपर दिए गए और दुनियाभर में मानव हक्क के नाम से जाने गए जननसंबंधी स्वास्थ्य सेवा देनेसे संबंधित है। दुनियाभर में गर्भपात को एक सुरक्षित वैद्यकीय प्रक्रियाओं में से एक माना गया ह, लेकिन फिर भी युवा भारतीय महिलाओं के गर्भपात से संबंधित अकारण मृत्यू के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी बात है।

प्र. गर्भपात को मुक्त अनुमत मिलने से गर्भपात की संख्या बढेगी तो नाही?

उ. नहीं। महिलाओं की गर्भपात की आवश्यकता से कानूनन दर्जा का कोई संबंध नहीं है। परंतु उसके सुरक्षित गर्भपात सेवातक मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं (डब्ल्यूएचओ २०१२) उदार गर्भपात कानून होनेवाले देशों में गर्भपात की संख्या बढी हुई नहीं दिखती। दुनियाभर के प्रदेशों में गर्भपात की संख्या लगभग समान ही है, उसका कानून से कोई संबंध नहीं है। गर्भपात कानूनन प्रतिबंधित है या उपलब्ध है या उससे महिला की गर्भधारणा के लिए अनिच्छा या गर्भपात करने की इच्छा उसपर कोई असर नहीं होता (डब्ल्यूएचओ २०१२) लेकिन जहाँ गर्भपात के कानून बहोत कठोर होते हैं वहाँ असुरक्षित गर्भपात की संख्या बढी हुई दिखाई देती है।

प्र. भारत में अगर सब नहीं तो भी बडी संख्या में गर्भपात बच्चे के लिंग चुनने हेतु किया जाता है?

उ. नहीं। परंतु देश के कुछ राज्यों में घटी घटनाओं से यह दिखाई दिया है कि दो सरकारी धोरण से संबंधित प्रश्नों में फर्क है। लिंग के आधार पर लिंग चुनना और सुरक्षित गर्भपात इन में जो सीमा है उसमें ज्यादा फर्क नहीं बचा। संशोधन यह स्पष्ट करता है कि देश में दो से चार फीसदी गर्भपात बच्चे का लिंग चुनने हेतु किए जाते हैं (लान्सेट २०११) २००६ में इंटरनैशनल फैमिली प्लैनिंग पर्स्पेक्टिव्ह जर्नल ने की हुई लिंगाधारित लिंग चुनाव और भारत के गर्भपात इस विषय के अभ्यास के अनुसार अनैच्छिक गर्भधारण यह गर्भपात के लिए पहले बच्चे के लिंग से ज्यादा बडा कारण है।

भारत में रजिस्टर किए गए ८०-९० फीसदी गर्भपात पहले त्रैमासिक में किए गए हैं। लिंग चुनाव का प्रश्न दूसरे त्रैमासिक से संबंधित होते हुए भी दूसरे त्रैमासिक के सर्व गर्भपात लिंग चुनाव से संबंधित नहीं हैं। भारत की महिलाएँ दूसरे त्रैमासिक तक गर्भपात नहीं करती हैं और उसके कारण लिंग चुनाव से अलग होते हैं। निर्धन, युवा और अविवाहित महिलाएँ मुख्यत्वे गर्भपात करने नहीं जाती। उन्हे कई चीजों के बारे में अपुरा ज्ञान होता है। उन्हें गर्भावस्था के लक्षण पता नहीं चलते, गर्भपात करवाने की इच्छा और उसका कानूनी होना (पहले त्रैमासिक में) और सुरक्षित सेवादाता इ।

प्र. अगर सब महिलाओं को गर्भनिरोधक आसानी से उपलब्ध हो जाए तो गर्भपात की आवश्यकता नष्ट हो सकती है?

उ. एक बार फिर से इसका उत्तर नहीं है। अनचाही गर्भावस्था और गर्भपात यह बातें जननक्षम वर्षों में स्त्री के सर्वसामान्य अनुभव हैं। डब्ल्यूएचओ ने यह स्पष्ट किया है कि दुनियाभर में लगभग ३३ दशलक्ष गर्भनिरोधक इस्तेमाल करनेवाले महिलाओं को गर्भनिरोधक का प्रयोग होते हुए भी गर्भधारणा हुई है। यह एक प्रमुख कारण है जिसके लिए गर्भपात अत्यंत आवश्यक है।